

22-03-18 वकील अपी- या स्वयं अपी- कोई उपस्थित नहीं है  
अपी-को बार बार आवाजे मिलाने गडे। अपी-  
की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः  
अपील अपीलान्त अदम हाजरी व अदम पंरवी  
में खारिज की जाती है। पत्रावली फंखल कुमार  
के कर बाद वकील जावत। काजिल दफ्तर है।

संभागीय आयुक्त  
भरतपुर संभाग, भरतपुर